

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
क्रमांक: एफ 13 ()अनु./कोचिंग/सान्याअवि/2021/पार्ट-1/ 34056 जयपुर, दिनांक: 5/8/21

आदेश

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन प्राप्त प्रस्तावों में से कोचिंग संस्थाओं का चयन किये जाने हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जाता है :-

1	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अध्यक्ष
2	निदेशक, अल्पसंख्यक मामलता विभाग	सदस्य
3	सयुक्त सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सदस्य
4	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर का प्रतिनिधि	सदस्य
5	वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
6	अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
7	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
8	सयुक्त निदेशक (आई.टी.), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
9	सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

उक्त चयन समिति द्वारा कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण उपरान्त चयनित कोचिंग संस्थाओं को ऑनलाईन पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जायेगा।


(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांक:एफ13()मु./अनुप्रति कोविंग./सान्याअवि/21/पार्ट-1/ 34057-72 जयपुर, दिनांक : 5/8/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, 1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर।
9. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
10. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
11. सयुक्त सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
13. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. सयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने के सम्बंध में सम्बन्धित निर्देशित करावें
15. अतिरिक्त निदेशक (दिवनारायण)/ सयुक्त निदेशक (योजना)/ वित्तीय सलाहकार/सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/ सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास।
16. आदेश पत्रावली।

(ओ.पी.बुनकर)

निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव